

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 5, अंक : 29

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 11 से 17 मार्च 2020

पेज : 4

कीमत : 3 रुपये

समय से पहले जमने लगे हैं बीज, नहीं हैं शुभ संकेत



एक नए अध्ययन से पता चला है कि किस तरह बढ़ते तापमान से मौसम बदल रहा है और भारी बारिश हो रही है, उससे तिब्बती पठार के मैदान और अन्य जगहों पर बीजों को नुकसान पहुंच रहा है। यह अध्ययन इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के जर्नल इकोलॉजिकल एप्लिकेशन में प्रकाशित हुआ है।

तिब्बती पठार, एक ऐसा स्थान है जो हजारों वर्षों से घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। यह वनस्पति पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जलवायु प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है। अध्ययन में कहा गया है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे पठार है,

जिनकी ऊंचाई 12,000 फीट से अधिक है, इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माना जाता है। यहां जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने की दर लगभग 1.5 गुना है जिसके कारण पठार के अधिकांश क्षेत्रों में साल भर होने वाली वर्षा में वृद्धि हुई है।

शोधकर्ताओं ने पठार से मिट्टी के नमूने और पौधों के सर्वेक्षण संबंधित आकड़ों को एकत्र किया। चीन के लान्चो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पठार के उत्तरपूर्वी भाग में विभिन्न ऊंचाई और विभिन्न तरह की पारिस्थितिकी तंत्र से 57 नमूने लिए। उन्होंने मिट्टी के 1026 नमूने इकट्ठे किए और वहां उग रहे विभिन्न पौधों का सर्वेक्षण किया। पौधों से समय के साथ

बीज जमीन में गिरते रहते हैं।

इसके बाद, शोधकर्ताओं द्वारा नमूनों का अंकुरण कराया गया और उनके विकास के अध्ययन के लिए उन्हें प्रायोगिक भूखंडों में उगाया गया। इसका उद्देश्य यह जानना था कि विभिन्न परिस्थितियां तिब्बत में मिट्टी के बीज बैंकों को किस तरह प्रभावित करती हैं। जबकि कुछ पौधे बढ़ते वर्षा और तापमान के तहत अच्छी तरह से विकसित होते दिखाई दिए। इन परिवर्तनों के चलते मिट्टी में होने वाले बदलावों का छोटे बीजों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। कोलिन्स कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन बीजों के अंकुरण, बढ़ने और जीवित रहने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। जलवायु से

अंकुरण प्रभावित होता है जिसमें सूखा, ठंड, आदि अंकुरण में कमी के कारण हो सकते हैं। अध्ययन के अनुसार बीज के जमने न जमने (निष्क्रियता) को नियंत्रित करने के लिए तापमान एक मुख्य कारण होता है। बढ़ते तापमान में, बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं जबकि यह उनके स्वस्थ विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां नहीं होती हैं। कुछ दिनों के लिए एक असामान्य रूप से गर्म तापमान कड़ी सर्दियों के दौरान उन बीजों को उगने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन बाद में उनका विकास होना कठिन हो जाता है। कई बीज मिट्टी में अधिक नमी के कारण जल्द ही अंकुरित हो सकते हैं।

तापमान और वर्षा में वृद्धि, उनके आसपास के वातावरण को बदलकर अप्रत्यक्ष रूप से बीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं। रोगाणु, जो बीजों के लिए हानिकारक होते हैं। वे गर्म और गीली मिट्टी की स्थिति में अधिक ताकतवर हो सकते हैं।

मिट्टी की अम्लता भी बदल सकती है, रोगाणुओं की अधिक संख्या माइक्रोबियल समुदायों को प्रभावित करती है। बदलती परिस्थितियों में मिट्टी में अतिरिक्त नाइट्रोजन से कुछ पौधों की प्रजातियों को दूसरों पर हावी होने का मौका मिल जाता है। जिससे समग्र प्रजातियों को विविधता में गिरावट आती है, जो कम विविधता वाले बीजों का उत्पादन करते हैं।

यूपी में वन क्षेत्र खस्ताहाल फिर भी 632 नए लकड़ी उद्योगों को बांटे लाइसेंस

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की प्रधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए नए लकड़ी आधारित उद्योगों / आरा मिलों को स्थापित करने वाली 1 मार्च, 2019 को निर्गत की गई सूचना और सभी प्रोविजनल लाइसेंस को रद्द करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार और प्रोविजनल लाइसेंस हासिल करने वाले औद्योगिक ईकाइयों को इस आदेश से बड़ा झटका लगा है। सरकार ने नए लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना और संचालन की जरूरत को लेकर अपनी दलील में कहा था कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में 80 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसमें 3,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 1200 करोड़ रुपये का टर्नओवर होगा।


सरकार ने यह दुहाई भी दी थी कि 1215 औद्योगिक ईकाइयों में जिन 632 को प्रोविजनल लाइसेंस दिया गया वे संचालन को बिल्कुल तैयार हैं। इन औद्योगिक ईकाइयों ने बैंक से कर्ज लेकर यह उद्योग शुरू किए हैं। इसलिए इन्हें राहत दी जाए। हालांकि, पीठ ने इस दलील को ठुकरा दिया।

वहीं याचीकर्ता ने कहा था नई आधुनिक मशीनें मौजूदा मशीनरी के मुकाबले चार गुना ज्यादा खपत करेंगी। जबकि उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र (आरएफए) 16,592 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.88 फीसदी है। यह लक्ष्य इंडिया

स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के लक्ष्य 33 फीसदी से काफी कम है। ऐसे में नई इंडस्ट्री इस वन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है लकड़ी आधारित उद्योग/आरा मिलों को सिर्फ तभी संचालन की इजाजत मिल सकती है जब यह सुनिश्चित हो कि लकड़ी और कच्चे माल की उपलब्धता इन उद्योगों को जिंदा बनाए रख सकती है। यह सिर्फ अनुमान पर नहीं बल्कि वास्तविक गणना पर ही आधारित होगा। मौजूदा मामले में हमने पाया कि उत्तर प्रदेश का यह पक्ष स्वीकार करना मुश्किल है कि लकड़ी या कच्चे माल की उपलब्धता नए लकड़ी आधारित उद्योगों या आरा मिलों को टिकाए रखेगी।

उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र की हालत खस्ता है फिर भी 1215 नए लकड़ी आधारित उद्योगों में 632 को प्रोविजनल लाइसेंस बांट दिया गया। एक गैर सरकारी संस्था समित्व फाउंडेशन के जरिए यह मामला जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंचा तो 1 अक्टूबर, 2019 को प्रधान पीठ ने यथास्थिति का आदेश दिया और अब 18 फरवरी 2020 को सभी पक्षों और तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णायक आदेश में कहा कि यह गौर किया गया है कि यदि नए लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस दिया गया तो न सिर्फ अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई बढ़ेगी बल्कि वन क्षेत्र की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश किया गया लकड़ी की उपलब्धता का आंकड़ा वास्तविकता के बिल्कुल करीब नहीं है इसलिए नए उद्योगों को स्थापित करने और चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।



प्रधान पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 दिसंबर, 2019 को जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें बताया गया है कि यूपी में प्रतिवर्ष लकड़ी की कुल संभावित उपलब्धता 80.30 लाख घन मीटर है, जिसमें 2.5 घन मीटर सरकारी वन और 77.74 लाख घन मीटर बाहरी क्षेत्र के पेड़ (टीओएफ) शामिल हैं। सरकार के मुताबिक 80.30 लाख घन मीटर लकड़ी की संभावित उपलब्धता में प्रमुख रूप से यूकेलिप्टिस (28 लाख घन मीटर) और पांपुलर प्रजाति (15 लाख घन मीटर) शामिल है जो कि संयुक्त रूप से 43 लाख घन मीटर की हिस्सेदारी करता है।

जिन पेड़ों का लगाना तय नहीं वे भी गणना में शामिल
पीठ ने सरकार के इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए

कहा कि एफसआई इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 77 लाख घन मीटर बाहरी लकड़ी की उपलब्धता बाहरी वनक्षेत्र से बताई गई है।

लकड़ी की संभावित उपलब्धता 77 लाख घन मीटर तब हो सकती है जब किसान उन पेड़ों को लगाएं। यह तस्वीर वास्तविक नहीं है बल्कि पूरी तरह भविष्यगत अनुमान पर आधारित है। साथ ही इस गणना में उन पेड़ों को भी बाहर नहीं किया गया जो संभव है कि तत्काल या नजदीक भविष्य में नहीं लगाए जाएंगे।

सरकार के दावे से उलट आधी ही लकड़ी उपलब्धता

पीठ ने कहा कि प्रजाति के आधार पर लकड़ी की संभावित उपलब्धता के ग्राइंग स्टॉक (दी गई संबंधित भूमि पर वन क्षेत्र और पेड़ों से हासिल हो सकने वाली लकड़ी) और उसकी रोटेशनल उम्र की गणना के लिए सरकार ने वॉन मेंटेल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के सर्वे (भारतीय वन सर्वेक्षण) में मानक त्रुटि पांच फीसदी है जबकि राज्य स्तर में करीब 15 फीसदी। यदि जिलावार देखें तो यह त्रुटि 25 से 30 फीसदी है। प्रजाति के हिसाब से लकड़ी की उपलब्धता को लेकर की गई गणना में मानक त्रुटि काफी ज्यादा है।

सरकार ने बताया जरूरत से ज्यादा अनुमान

सरकार ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए इस मानक त्रुटि को दिमाग में नहीं रखा। इस आधार पर यूकेलिप्टिस और पांपुलर प्रजाति से उद्योगों को लकड़ी की उपलब्धता 43 लाख घन मीटर नहीं बल्कि करीब 32 लाख घन मीटर

होगी। वहीं, अन्य प्रजातियों से बमुश्किल 10 से 12 लाख घन मीटर ही लकड़ी की उपलब्धता हो पाएगी। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष सभी प्रजातियों से उपभोग के लिए कुल लकड़ी की उपलब्धता अनुमानित 80.30 लाख घन मीटर के विरुद्ध महज 40 से 45 लाख घन मीटर ही है। पीठ ने सरकार के 77.74 लाख घन मीटर संभावित लकड़ी की उपलब्धता को जरूरत से ज्यादा लगाया गया अनुमान बताया है। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब की तर्ज पर जिलावार प्रजाति व व्यास के हिसाब से इन्वेंटरी तैयार होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है तो इसे तैयार किया जाना चाहिए।

50 फीसदी तक कम किया जा सकता है प्रजातियों के विलुप्ति का खतरा

एक नए अध्ययन से पता चला है कि यदि उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिक्स) क्षेत्रों की 30 प्रतिशत भूमि को संरक्षित कर दिया जाए तो प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। लीड्स विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के प्रोफेसर जॉन लोवेट सहित 21 वैश्विक जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिकों ने इस विषय पर एक पेपर प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे भूमि संरक्षण के प्रयासों में भी वृद्धि हुई है। इसलिए यह सही समय है, जब हम प्रजातियों के नुकसान को रोक सकते हैं। इकोग्राफी में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। यह ऐसा पहला अध्ययन है, जिसमें संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रजातियों के विलुप्ति दर का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

30% भूमि क्षेत्र का संरक्षण करने से सभी जाने पहचाने उष्णकटिबंधीय पौधों, पक्षियों और स्तनधारियों में आधे से अधिक के विलुप्त होने के खतरे को कम किया जा सकता है। यदि प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र भी स्वस्थ रहेगा। साथ ही, कई ऐसे पेड़-पौधों की प्रजातियां बचेगी, जो बहुत अधिक

कार्बन स्टोर करती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी।

ग्लोबल चैलेंज इन द स्कूल ऑफ जियोग्राफी के अध्यक्ष और सह-अध्ययनकर्ता प्रोफेसर लोवेट ने कहा कि भूमि के संरक्षण के साथ-साथ, कृषि, वानिकी और पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के मूर सेंटर फॉर साइंस के प्रमुख अध्ययनकर्ता और वरिष्ठ वैज्ञानिक ली हनाह ने कहा कि 2020 सुपर ईयर फॉर नेचर है और मौजूदा शोध से पता चलता है कि अगर हम संरक्षण प्रयासों को नहीं बढ़ाते हैं, तो हम छोटे सामूहिक विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। उल्लेखनीय है इससे पहले प्रजातियों की पांच बड़ी सामूहिक विलुप्तियां हो चुकी हैं, पांचवीं सामूहिक विलुप्ति 37.5 करोड़ वर्ष पूर्व डेवोनियन काल में हुई, जब 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि अब हमारे पास इस संकट से निपटने के लिए विज्ञान है। यदि हम सामूहिक रूप से संरक्षण के लिए प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं तो हम एक ही समय में जैव विविधता हॉटस्पॉट को संरक्षित कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी धीमा कर सकते हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के सह-अध्ययनकर्ता और



वैज्ञानिक

पैट्रिक

रोहरडानज ने कहा

जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के नुकसान में काफी हद तक मानव जिम्मेदार है। अब हमें संरक्षण के लिए स्थिर तापमान और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता है।

हरियाणा के सभी वेदर स्टेशन खराब, नहीं मिल रही मौसम की जानकारी

हाल में अचानक आई तेज बारिश एवं ओलावृष्टि से खेतों में लहलहाती फसलों के अलावा मंडियों में पड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा के दक्षिण और उत्तरी जिलों में तो खेत के खेत तबाह हो गए। बर्बादियों का पता लगाने के लिए अब इन जिलों में मैनुएल और ड्रोन से गिरदावरी कराई जा रही है, मगर सरकार का ध्यान अब तक उस ओर नहीं गया है जिसकी मदद से किसानों को प्राकृतिक आपदा के प्रति समय रहते सचेत किया जा सके।

हरियाणा के सभी 20 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन पिछले कई महीने से ठप पड़े हैं। इसकी वजह से प्रदेश के मौसम और तापमान की सही जानकारी नहीं मिल रही है। स्टेशनों के खराब रहने के कारण ही पिछले सप्ताह उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा में समय पूर्व बारिश और ओलावृष्टि की सही जानकारी नहीं मिल सकी और किसान तथा प्रशासन समय रहते संभल नहीं सके। खेतों के अलावा मंडियों में खुले में पड़े करोड़ों रुपए की सफलों को

बारिश और ओलावृष्टि के चलते भारी नुकसान हुआ है।

बहरहाल वेदर स्टेशनों की वर्तमान दशा बताती है कि अगले दो से तीन महीने तक इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कृषकों एवं प्रशासन को इन स्टेशनों से इतर अपने स्तर से मौसम के मिजाज भांपने होंगे। स्वचालित वेदर स्टेशन का काम होता है वायु की गति, दिशा, तापमान, नमी मापना और प्रति घंटा बारिश की जानकारी इकट्ठा करना। इसके आधार पर मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है।

वेदर स्टेशनों को संचालित करने वाले संस्थान इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने 2007 में देशभर में 576 स्वचालित वेदर स्टेशन स्थापित किए थे। हरियाणा के 20 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर,



अंबाला तथा पंचकुला में 2012 में वेदर स्टेशन स्थापित हुए थे। तब से अब तक इनकी बैटरी और सेंसर नहीं बदले गए, जिसके चलते सारे स्टेशन पिछले कई महीने से ठप पड़े हैं। फरीदाबाद बागवानी अधिकारी दीन मोहम्मद कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की भरपाई में वेदर स्टेशन से मिले विवरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आईएमडी, चंडीगढ़ डिवीजन के सुरेंद्र पॉल कहते हैं, वेदर स्टेशन की खराब बैटरी और सेंसर बदलने की प्रक्रिया चल रही है। निविदाएं निकालकर सभी स्टेशनों पर नई बैटरी और सेंसर लगाए जाएंगे। उन्होंने माना कि वेदर स्टेशन काम नहीं करने से मौसम का विवरण एकत्रित करने में दिक्कत आ रही है।

गुरुग्राम में गुडगांव-फरीदाबाद एक्सप्रेसवे स्थित नेशनल इंटीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के परिसर में वेदर स्टेशन स्थापित है। यहां के लोगों ने अगस्त में ही

अगाह कर दिया था कि नियमित देखभाल नहीं होने से स्टेशन रह-रहकर काम करना बंद कर देता है। इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। आईएमडी के इंस्ट्रूमेंट डिवीजन के डी प्रधान के मुताबिक, मौसम संबंधी जानकारी इकट्ठी करने के लिए 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम एक वेदर स्टेशन का होना अनिवार्य है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के मौसम की जानकारी फिलहाल दिल्ली में लगे पांच वेदर स्टेशनों से इकट्ठी की जा रही है। बाकी हरियाणा के मौसम की जानकारी मैनुएल तरीके से हासिल की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा को छोड़कर देश के अधिकांश वेदर स्टेशन जीपीआरएस से जोड़ दिए गए हैं ताकि मौसम का विवरण एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में आसानी हो। इसके अलावा इसकी मदद से तमाम जानकारी वेबसाइट पर भी अपलोड की जा सके। हरियाणा के वेदर स्टेशन को भी जीपीआरएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इन सारे काम में दो से तीन महीने का समय लग सकता है।

शहरों में हो सकता है ब्लैकआउट?



वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी बढ़ने की आशंका है। गर्मी की वजह से ठंडा करने वाले उपकरण बिजली की अधिक खपत करेंगे, इसका सीधा प्रभाव शहरी बिजली ग्रिडों पर पड़ेगा, ग्रिड पर दबाव बढ़ने से (ब्लैकआउट) बिजली की कटौती होने के आसार बढ़ सकते हैं।

जर्नल नेचर एनर्जी के एक विशेष अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि कैसे शहर बिजली के लिए बेहतर स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं और लगातार बढ़ते तापमान से निपटने की योजना बना सकते हैं।

2050 तक आधे से अधिक लोगों के शहरों में रहने की उम्मीद है। बिजली का मौजूदा बुनियादी ढांचा जो अधिकतर फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है, यह बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही गर्मियों में शहरों में एयर कंडीशनिंग का उपयोग युद्ध स्तर पर होगा।

जबकि जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक घटना है, शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम यह देखना चाहती थी कि शहरी मौसम से ग्रिडों पर छोटे से अंतराल में चरम मौसम का क्या प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने अधिक प्रभाव डालने वाले मौसम की घटनाओं के दौरान 30 स्वीडिश शहरों में बिजली की मांग बढ़ने और कम होने की संभावना के लिए जलवायु मॉडल का उपयोग किया। उन्होंने इस प्रयोग के दौरान ब्लैकआउट होने के अधिक आसार पाए।

प्रमुख अध्ययनकर्ता दास परेरा ने बताया कि, चरम मौसम की घटनाओं से बिजली की आपूर्ति में 16 फीसदी की कमी आ सकती है जो आसानी से ब्लैकआउट का कारण बन सकती है, जिससे भारी

आर्थिक नुकसान हो सकता है।

टीम ने यह भी पाया कि बढ़ते गर्म और ठंडे दौर मौजूदा बिजली ग्रिड में अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के इन्टिग्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं।

यह बदले में शहरी वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डाल सकता है और सरकारों और शहरों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश के लिए एक और चुनौती बन सकता है।

स्विस इकोले पॉलिटिकल फेडरेल डी लुसाने में सोलर एनर्जी एंड बिल्डिंग फिजिक्स लेबोरेटरी के पेरेरा ने कहा कि, चरम जलवायु घटनाओं और ऊर्जा प्रणालियों पर उनके प्रभाव को वर्तमान में ऊर्जा की योजना बनाने के दौरान शामिल नहीं किया जाता है।

जिसके कारण चरम जलवायु घटनाओं में बिजली की मांग और उत्पादन के बीच असंतुलन पैदा होता है, जिसके परिणामस्वरूप ब्लैकआउट होते हैं। हाल में प्रकाशित एक अध्ययन में चेतावनी दी गई थी कि उत्तरी गोलार्ध में सन 2100 तक बेहद गर्म दिन और रातों में चार गुना बढ़ोतरी सकती है। जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होने वाली हैं।

यहां तक कि दुनिया भर में एयर कंडीशनिंग में प्रगति होने के बाद, अभी भी दुनिया भर में करोड़ों लोग अत्यधिक हीट वेव्स की चपेट में हैं।

वर्तमान में लगभग 110 करोड़ लोग गर्मी का सामना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास ठंडा करने के उपकरण, बिजली और धन इन सभी चीजों की कमी है।

अध्ययनकर्ताओं ने कहा, कि भविष्य में इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आज की यथास्थिति से परे जाकर, नए प्रयोगों, और नए ऑफ-मॉडल विश्लेषण सहित नए टूल की आवश्यकता है।

8 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता मोदी से नाराज

जलवायु परिवर्तन को लेकर काम करने वाली आठ साल की पर्यावरण कार्यकर्ता लिकीप्रिया कंगुजाम ने नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी ज़ाहिर की है। कंगुजाम को सरकार ने एक ऐसी शख्सियत के रूप में दिखाया जो प्रेरणा देती हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी वो ऐसी महिलाओं और लड़कियों की कहानियां साझा करें जो दुनिया को प्रेरणा देने का काम कर रही हैं।



इसी सिलसिले में सरकारी ट्विटर हैंडल @MyGovIndia की तरफ से लिकीप्रिया कंगुजाम के बारे में कुछ जानकारी साझा की गई थी और उन्हें एक प्रेरणा देने वाली शख्सियत बताया था। लेकिन कंगुजाम ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, डियर नरेंद्र मोदी जी, अगर आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते तो कृपया मुझे इस तरह का सम्मान भी मत दीजिए, आपकी #SheInspiresUs पहल के अंतर्गत मुझे देश की उन महिलाओं में से एक चुना गया जो प्रेरणा दे सकती हैं इसके लिए शुक्रिया। लेकिन काफी सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस सम्मान को ग्रहण नहीं करूंगी। लिकीप्रिया कंगुजाम को पिछले साल वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस सम्मान से नवाजा जा चुका है।

समाचार पत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित विवरण घोषणा

फार्म - 4

1. प्रकाशक स्थल	इन्दौर
2. प्रकाशन अवधि	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	सोनल मेहता
क्या भारत का नागरिक है	हाँ
पता	शहनाई रेसीडेंसी-2, कनाड़िया रोड, इन्दौर (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	सोनल मेहता
क्या भारत का नागरिक है	हाँ
पता	शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड, इन्दौर (म.प्र.)
5. संपादक का नाम	सोनल मेहता
क्या भारत का नागरिक है	हाँ
पता	शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड, इन्दौर (म.प्र.)
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्से हो।	नहीं

सोनल मेहता एतद द्वारा घोषित करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर

सोनल मेहता

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

11 मार्च 2020